उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या-1/2020/33/63-व0उ0-2020-155(एच)/2017
लखनऊ : दिनांकः 08 जनवरी, 2020

अधिसूचना संशोधन

भारत का संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पॉलिसी-2017 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या–236/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक: 25 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

2. उक्त अधिसूचना में सक्षम स्तर के अनुमोदन से निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

नीति के बिन्दु संख्या–1.3 Strategy में संशोधन का विवरण :-

➢ छूटी हुई उप–शाखाओं को सम्मिलित करने के लिये नीति के बिन्दु संख्या–1.3 पर निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

कालम–I	कालम–II
बिन्दु 1.3 के प्रथम पैरा में वर्णित वर्तमान उप–शाखायें/वस्त्र उत्पाद	बिन्दु 1.3 के प्रथम पैरा में संशोधित उप–शाखायें/वस्त्र उत्पाद
The Policy aims to promote all sub-branches of the textile manufacturing value chain viz. *sericulture (including chaaki and koya production), reeling, handloom, spinning, weaving, knitting, texturising, dyeing, processing, garmenting (i.e. garment manufacturing, embroidery, embroidered fabrics, made-ups, home textiles, fashion accessories, leather garments and accessories), and all types of technical textiles and jute products.*	The Policy aims to promote all sub-branches of the textile manufacturing value chain viz. :- • *sericulture (including chaaki and koya production), reeling, handloom,* • *spinning, weaving, knitting, texturising,* • *dyeing, processing, printing ,* • *garmenting (i.e. garment manufacturing, embroidery, embroidered fabrics, made-ups, home textiles, fashion accessories, leather garments and accessories),* • *all types of technical textiles and jute products,* • ***Pre-Spinning Processes of all kinds of Textile fibers :- (Ginning & Pressing process, Polyester/ Viscose/ Nylon/ Acrylic staple fiber/ Filament Yarn/ Recycled Polyester Staple Fiber etc.)*** • ***Post Spinning Processes of all kinds of Textile Yarn :- (Winding, Drawing, Twisting, Doubling, Reeling, Texturising, Crimping, Entanglement etc.) & all kinds of Pre Weaving Processes :- (Warping, Sizing etc.)*** • *P.P. Mat Produced only on Powerloom,* Non-Woven Fabrics.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

नीति के बिन्दु 9.3 में संशोधन का विवरण :-

- वृहद श्रेणी की इकाई हेतु समग्र सीमा (over all cap) का प्राविधान हेतु नीति के बिन्दु 9.3 पर निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

कालम–I	कालम–II
बिन्दु 9.3 में वर्तमान प्राविधान	बिन्दु संख्या–9.3 का संशोधित प्राविधान
There will be an overall cap of 120% of fixed capital investment (Land, Building, other Construction, Plant & Machinery and Miscellaneous Fixed Assets) on all incentives combined for MSME textile units under this policy. This limit will be 300% for Mega and Super Mega Textile Units set up in Poorvanchal and Bundelkhand; 200% for Madhyanchal; 100% for Pashchimanchal (Except GB Nagar) and 80% for GB Nagar district.	There will be an overall cap of 120% of fixed capital investment (Land, Building, other Construction, Plant & Machinery and Miscellaneous Fixed Assets) on all incentives combined for MSME textile units under this policy **and there will be an overall cap of 100% of fixed capital investment for large Textile units under this policy.** This limit will be 300% for Mega and Super Mega Textile Units set up in Poorvanchal and Bundelkhand; 200% for Madhyanchal; 100% for Pashchimanchal (Except GB Nagar) and 80% for GB Nagar district.

3. इस सम्बन्ध में उ0प्र0 हैण्डलूम, पारवलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी-2017 के अन्तर्गत निर्गत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या-236/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक: 25 जनवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1/2020/33(1)/63-व0उ0-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
6- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, माल एवेन्यू, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

प्रभान्शु श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।